न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

GCMS No.—2024/49

अपील संख्याः 59/2024

श्रीमती रूकमणी देवी शर्मा पत्नी जगदीश नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जारूण्डा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार आंधी जो उन्होंने नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 04.04.2022 में पारित किया।

———————

उपस्थितः–
1. श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

निर्णय

दिनांकः 24.06.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, आंधी के निर्णय दिनांक 04.04.2022 जिससे नामान्तरकरण संख्या 112 ग्राम फूटोलाव, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलांट के नाम तस्दीक नहीं किये जाने के आदेश पारित किये से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.03.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम फूटोलाव स्थित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अवतार सिंह खसरा नंबर 41/358 रकबा 0.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 भाग, खसरा नंबर 1 रकबा 1.57 हैक्टयेर में हिस्सा 37/785 थे। अवतार सिंह से जरिये रजि0 विक्रय पत्र अपीलांट द्वारा भूमि क्रय की गयी। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात अपीलांट द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन किया एवं तहसीलदार द्वारा बिना रिकॉर्ड देखे ही प्रकरण हाईकोर्ट में बेरी आयोग हेतु विचाराधीन होने अंकित कर नामान्तकरण खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 1 को देखकर यह समझने में भूल कि है कि खसरा नंबर 1 बेरी आयोग की वजह से उच्च न्यायालय में लंबित है इसलिए नामान्तकरण खारिज कर दिया गया है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व के खसरा नंबर 1 का हाल खसरा नंबर 3 व पूर्व के खसरा नंबर 6 का हाल खसरा नंबर 40 व 42 है। जबकि अपीलांट द्वारा खरीदशुदा भूमि का वर्तमान खसरा नंबर 1 जो कि पूर्व का खसरा नंबर 6/237 था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों को देखे ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट

24/6/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में अन्य नामान्तकरण भी स्वीकृत किये गये है। अपीलांट ने दिनांक 24.01.2024 को अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तब अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को जानकारी हुई एवं अपीलांट ने माननीय न्यायालय में अविलम्ब अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 04.04.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में प्रकरण बैरी आयोग में विचाराधीन होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार नहीं किया गया। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली का मय अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 112 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.10.2021 को मुताबिक बेचाननामा के अनुसार केती के नाम नामान्तकरण दर्ज करने बाबत तहसीलदार आंधी के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार आंधी द्वारा प्रकरण हाईकोर्ट में बेरी आयोग में विचाराधीन होने की रिपोर्ट के साथ अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया गया। अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में अन्य नामान्तकरण यथा 153, 162, 190 भी न्यायालय आदेश एवं बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में प्रथम दृष्टया बिना किसी मार्गदर्शन, रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 112 खारिज किया जाना जाहिर होता है साथ ही प्रकरण में अपीलांट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार आंधी का आदेश दिनांक 04.04.2022 बाबत नामान्तरकरण संख्या 112 वाके ग्राम फूटोलाव, तहसील आंधी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, आंधी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन भूमि के संबंध में तस्दीक अन्य बेरी आयोग से प्रभावित भूमियों नामान्तरणों में अपनायी गयी प्रकिया एवं गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर